

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :-09/18

अपीलांट गुरुदेवसिंह/काबिलसिंह ने खुद पेश होकर प्रा0पत्र पेश किया कि क्योंकि विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट और रेस्पोंडेंट के बीच राजीनामा हो चुका है। इसलिए वह इस अपील को विद्ध करना चाहता है।

अदालत द्वारा प्रा0पत्र स्वीकार कर वाद सं0 09/18 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही विवादित आराजी तहसील खाजूवाला के चक 27 केवाईडी'बी' के मु0नं0 19/57 के किला नं0 1 ता 25 की 24.05 बीघा भूमि पर दिनांक 18/9/18 को जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

